[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

[illegible] प्रश्न [illegible] : 388

19 [illegible], 2019 [illegible] प्रश्न [illegible]

चिकित्सा महाविद्यालय/एम्स जैसा संस्थान

*388. डॉ॰ जयंत कुमार रायः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार का उत्तर बंगाल म स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु कोई केन्द्र सरकार चिकित्सा महाविद्यालय अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तीव्र गति से कायान्वयन के संबंध म पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ चचा करने का निणय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उत्तर बंगाल के 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के लिये अप्रभावी अथवा अपयाप्त स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने हेतु कोई कदम उठाये हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[illegible]

स[illegible]स्थ्य और परिवार कल्या[illegible] [illegible] ([illegible])

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 19 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न □□388 □□ □त□□ □' □□ले□□□□ □□□□□

(क): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतगत, कल्याणी, पश्चिम बंगाल म 1754 करोड़ रुपए को लागत से एक एम्स मंजूर किया गया है और यह निमाणाधीन है। पीएमएसएसवाई स्कोम के तहत निम्नलिखित चार (4) मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन प्रारंभ किया गया है:

i. कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता (चरण-I)
ii. बीएस मेडिकल कॉलेज, बांकुरा; सरकारी मेडिकल कॉलेज, मालदा और उत्तरी बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिग (चरण-III)

पश्चिम बंगाल म एक और एम्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहों है। 82 नए मेडिकल कॉलेजों को 'मौजूदा जिला/ रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना' नामक कद्रीय प्रायोजित स्कोम के तहत दो चरणों म स्थापित किया जाना है। इनम से 10 पश्चिम बंगाल म नामत: वीरभूम (रामपुर हट), कूच बिहार,डायमंड हाबर, पुरुलिया और रायगंज (उत्तर दिनाजपुर) म चरण-I के तहत और बरासत, उलूबेरिया, आरामबाग,झारग्राम और तामलुक म चरण-II के अंतगत स्थापित किए जाने ह।

(ख): पश्चिम बंगाल राज्य म आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को क्रियान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह स्कोम राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाने तक 10 जनवरी, 2019 तक सफलतापूवक चली। कद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने एबी-पीएमजेएवाई को अपने अपने राज्यों म क्रियान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे थे। इसके अलावा, वष 2017-18 को बजट घोषणाओं के अनुसार, आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य कद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के तहत दिसंबर 2022 तक देशभर म 1.5 लाख स्वास्थ्य उप-कद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य कद्रों म परिवर्तित किया जाना है ताकि व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचया प्रदान को जा सके जिसम निरंतर स्वास्थ्य परिचया के दृष्टिकोण के साथ सामुदायिक स्तर पर निवारक स्वास्थ्य परिचया और स्वास्थ्य संवर्द्धन के लिए प्रावधान शामिल ह।

एबी-एचडब्ल्यूसी को योजना को रूपरेखा निम्नानुसार है:

- वित्तीय वष 2018-19 = 15,000
- वित्तीय वष 2019-20 = 25,000 (संचयी 40,000)
- वित्तीय वष 2020-21 = 30,000 (संचयी 70,000)
- वित्तीय वष 2021-22 = 40,000 (संचयी 1,10,000)
- 31 दिसंबर 2022 तक = 40,000 (संचयी 1,50,000)

देशभर म 1.5 लाख एचडब्ल्यूसी को प्रचालनरत करने को समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 रखी गई है। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर) से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, अभी तक,

52744 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य कद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिए गए ह।

उपयुक्त पहल के सापेक्ष, पश्चिम बंगाल म एबी-एचडब्ल्यूसी को स्थिति निम्नानुसार है:

- 2393 एचडब्ल्यूसी (यूपीएचसी-75, पीएचसी-908 और एससी-1410) को 16 जुलाई, 2019 तक अनुमोदित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, 16 जुलाई, 2019 तक 399 एचडब्ल्यूसी (पीएचसी-256 और एससी-143) प्रचालनरत ह।

(ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण,कारगर और पयाप्त स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों को अपने समग्र संसाधनों के दायरे के भीतर उनको कायक्रम कायान्वयन योजनाओं(पीआईपी) म उनके द्वारा रखी गई आवश्यकताओं के आधार पर जन स्वास्थ्य सुविधाकद्रों के अवसंरचना उन्नयन सहित अपनी स्वास्थ्य पारिचया प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीको सहायता प्रदान को जाती है।

राष्ट्रीय कायक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) को प्रत्येक वष आयोजित बैठकों के दौरान, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों पर चचा को जाती है और उनके उपलब्ध संसाधनों के दायरे के भीतर उनके परामश म इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाता है। एनपीसीसी को सिफारिश के आधार पर, कायवाही अभिलेख (रिकॉड ऑफ प्रोसीडिग्स) के रूप म ये अनुमोदन प्रदान किए जाते ह और इस बारे म संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों को संसूचित किया जाता है। एनएचएम के तहत पश्चिम बंगाल के रिकॉड ऑफ प्रोसीडिग्स https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=62&lid=75 पर उपलब्ध ह।

*****